

परिपत्र संख्या-फार्म अनु० विज्ञप्ति 2014-15//

813/1415067 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर ,वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश
(फार्म अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक : : ०८ सितम्बर :: 2014

//विज्ञप्ति //

वर्तमान में प्रान्त बाहर से माल आयात करने के लिये सिक्योरिटी फीचर्स युक्त मुद्रित सी०सी० / डी०डी० सीरीज के आयात घोषणा पत्रों (फार्म-38) का प्रयोग किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त अभी व्यापार कर अवधि में मुद्रित आयात घोषणा पत्र सीरीज संख्या एफ०/क्यू०क्यू०-2006 (ट्रेडर्स) तथा एफ०/आर०आर०-2006 (औद्योगिक इकाइयों के उपयोगार्थ) सीरीज के फार्म काफी पुराने हो गये हैं तथा विभागीय कार्यालयों में सामान्यतः उपलब्ध नहीं है ।

अतः अब आयात घोषणा पत्र सीरीज संख्या एफ०/क्यू०क्यू०-2006 (ट्रेडर्स) तथा एफ०/आर०आर०-2006 (औद्योगिक इकाई के उपयोगार्थ) सीरीज के आयात घोषणा पत्रों (फार्म-31) का वितरण व्यापारियों को कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा नहीं किया जायेगा तथा एफ०/क्यू०क्यू०-2006 (ट्रेडर्स) तथा एफ०/आर०आर० -2006 (औद्योगिक इकाई के उपयोगार्थ) सीरीज के फार्म-31 को तात्कालिक प्रभाव से अप्रचलित / अवैध घोषित किया जाता है ।

- 2- सी०सी० सीरीज तथा डी०डी० सीरीज के आयात घोषणा पत्रों का प्रयोग जारी रहेगा ।
उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय ।

Mu
5.9.2014
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
Das

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, 30प्र० शासन, लखनऊ ।
- 3- मा० अध्यक्ष, वाणिज्य कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।
- 4- निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
- 5- अध्यक्ष / निबन्धक, 30प्र० वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण वाणिज्य कर, 30प्र० ।
- 6- प्रबन्धक, इसेटिव पिकप, राणा प्रताप मार्ग / सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर, लखनऊ ।
- 7- महालेखाकार, 171 ए अशोक नगर, इलाहाबाद ।
- 8- समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 9- सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट ब्रिगस्टेट आफ ए०जी०आडिट-11 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद ।

